



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 435]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 31, 2017/ज्याष्ठ 10, 1939

No. 435]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 31, 2017/JYAISTHA 10, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2017

सा.का.नि. 534(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल, योधक (हिन्दी अनुवादक) कॉडर भर्ती नियम, 2012 को संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, योधक (हिन्दी अनुवादक) कॉडर भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- सीमा सुरक्षा बल, योधक (हिन्दी अनुवादक) कॉडर भर्ती नियम 2012, में -
(क) नियम 2 में, "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान" शब्दों के लिए दोनों स्थानों पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जायेगे;
(ख) अनुसूची में-
(i) सूबेदार मेजर (हिन्दी अनुवादक) पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने -
(क) स्तंभ (4) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा,
अर्थात् :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर-8 (47600-151100/- रुपये)"

(ख) स्तंभ 11 में -

- "प्रोन्नति" शीर्षक के अधीन, टिप्पण -2 का लोप किया जायेगा,
- "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, टिप्पण -4 का लोप किया जायेगा;

(ii) निरीक्षक (हिन्दी अनुवादक) पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, —

(क) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायेगी, अर्थात :

“स्तर - 7 (44900 - 142400/- रुपये)”;

(ख) स्तंभ (11) में, —

(i) “प्रोन्नति” शीर्षक के अधीन, टिप्पण - 2 का लोप किया जायेगा;

(ii) प्रतिनियुक्ति / आमेलन शीर्षक के अधीन, —

(क) मद (क) में, —

(i) उप-मद (i) में, “वेतन बैंड-2 (9300-34800 रुपये) के साथ 4600 रुपये ग्रेड वेतन” शब्दों और अंको के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (44900-142400/-रुपये)” शब्द और अंक रखे जाएंगे; एवं वेतन बैंड-2, (9300-34800 रुपये) के साथ 4200 रुपये ग्रेड वेतन” शब्दों और अंको के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/- रुपये)” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) उप-मद (ii) में, “वेतन बैंड- 2, (9300-34800 रुपये) के साथ 4600 रुपये ग्रेड वेतन” शब्दों और अंको के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 7 (44900- 142400/- रुपये)” के साथ शब्द और अंक रखे जाएंगे, अथवा “वेतन बैंड-2, (9300-34800 रुपये) के साथ 4200 रुपये ग्रेड वेतन ” शब्दों एवं अंको के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/- रुपये)” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) टिप्पण - 4 का लोप किया जाएगा;

(iii) उप निरीक्षक (हिन्दी अनुवादक) पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने, —

(क) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायेगी, अर्थात :

“स्तर-6 (35400-112400/- रुपये);”

(ख) स्तंभ 11 में, —

(क) मद (क) में, —

(i) उप-मद (i) में “वेतन बैंड-2 (9300-34800 रुपये) के साथ 4200 रुपये ग्रेड वेतन” शब्दों और अंको के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (35400-112400 रुपये)” शब्द और अंक रखे जाएंगे; या “वेतन बैंड-1 (5200-20200/- रुपये)” के साथ 2800 रुपये ग्रेड वेतन” शब्दों एवं अंको के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (29200-92300 रुपये)” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) उप-मद (ii) में “वेतन बैंड- 2 (9300-34800 रुपये)” के साथ 4200 रुपये ग्रेड वेतन” शब्दों और अंको के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (35400-112400 रुपये)” शब्द और अंक रखे जाएंगे; या “वेतन बैंड-1 (5200-20200 रुपये) के साथ 2800 रुपये ग्रेड वेतन” शब्दों और अंको के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपये) शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) टिप्पण-4 का लोप किया जाएगा;

[फा. सं. 17/115/2016-कार्मिक/सीसुबल]

प्रशान्त निकम, निदेशक (कार्मिक)

टिप्पण : मूल नियम, भारत सरकार के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 16, तारीख 21 जनवरी, 2012 द्वारा तारीख 21 जनवरी, 2012 को प्रकाशित किए गये थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th May, 2017

G.S.R. 534(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Border Security Force Combatised (Hindi Translators) Cadre Recruitment Rules, 2012, namely:-

1. (1) These rules may be called the Border Security Force, Combatised (Hindi Translators) Cadre Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into Force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Border Security Force, Combatised (Hindi Translators) Cadre Recruitment Rules, 2012,-

(a) in rule 2, for the words "pay band and grade pay or pay scale" at both places, the words "level in the pay matrix" shall be substituted;

(b) in the schedule,-

(i) against serial number 1, relating to the post of Subedar Major (Hindi Translator),-

(A) for column (4) and the entries related thereto, the following shall be substituted, namely:

" Level in the pay matrix
(4)
Level - 8(Rs. 47600-151100/-);

(B) in column 11,-

(I) under heading "Promotion", Note 2 shall be omitted;

(II) under heading "Deputation", Note 4 shall be omitted;

(ii) against serial number 2 relating to the post of Inspector (Hindi Translator),-

(A) for entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:-

"Level - 7(Rs. 44900-142400/-);"

(B) in column (11),-

(I) under heading "promotion", Note 2 shall be omitted;

(II) under heading " Deputation/Absorption",-

(a) in item (a),-

(i) in sub-item(i), for the words and figures " Pay Band-2 (Rs.9300-34800) and grade pay of Rs 4600", the words and figures " Level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400/-)" shall be substituted; or for the words and figures " Pay Band-2 (Rs. 9300-34800) and grade pay of Rs 4200", the words and figures "Level-6 in the pay matrix (Rs 35400-112400/-)" shall be substituted;

(ii) in sub-item(ii), for the words and figures "Pay Band-2 (Rs. 9300-34800) and grade pay of Rs 4600", the words and figures "level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400/-)" shall be substituted; or for the words and figures "Pay Band-2 (Rs. 9300-34800) and grade pay of Rs 4200", the words and figures "level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400/-)" shall be substituted;

(b) Note 4 shall be omitted;

(iii) against serial number 3 relating to the post of Sub -Inspector (Hindi Translator),-

(A) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:-

"Level-6(Rs. 35400-112400/-)".

(B) in column (11),-

(a) in item(a),-

(i) in sub-item (i), for the words and figures "Pay Band-2 (Rs.9300-34800) and grade pay of Rs.4200", the words and figures "level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400/-)" shall be substituted; or for the words and figures "Pay Band-1 (Rs. 5200-20200/-) and grade pay of Rs 2800", the words and figures "level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300/-) shall be substituted.

(ii) Sub-item (ii), for the words and figures "Pay Band-2 (Rs. 9300-34800) and grade pay of Rs. 4200", the words and figures "level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400/-)" shall be substituted; or for the words and figures " Pay Band-1 (Rs. 5200-20200/-) and grade pay of Rs 2800", the words and figures " level-5 n the pay matrix (Rs. 29200-92300/-)" shall be substituted;

(b) Note 4 shall be omitted.

[F. No. 17/115/2016-Pers/BSF]

PRASHANT NIKAM, Director (Pers)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India Part-II Section 3, Sub Section (i), dated 21st January, 2012 vide GSR-16 dated the 21st January, 2012.